

फैक्स : 0484 341579

टेलिफोन : 341569, 341386, 341579 (बैच)

तार : भविष्यनिधि, कोच्ची

Fax : 0484 341579

Telegram : 'BHAVISHYANIDHI' COCHIN.

Telephone : 341569, 341386, 341579 (per.)



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

उपक्षेत्रीय कार्यालय, कलूर कोच्ची- १७

SUB-REGIONAL OFFICE, KALOOR, KOCHI-17

सं के/ के.सी/ ()/

No. KR/KC/ (24399)/ Enf 2(50)/2003 *6826*

रजिस्टर्ड पावति द्वारा

By Regd. Ack. Due

दिनांक Dated **11.0 SEP 2008**

सेवा में To

The Manager,

J. & J. English Medium School,
Karupadanna (PO), Kodungallur,
Thrissur - 680 670.

विषय : कर्मचारी भविष्यनिधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध, ५२ तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये योजनाओं की प्रयुक्ति
संबन्ध में

Sub : Applicability of the E. P. F. & M. P. Act, 52 and Schemes framed thereunder to
J&J English Medium School, Karupadanna Reg.

महोदय/महोदया, Sir/Madam,

कर्मचारी भविष्यनिधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध १९५२ तथा उसके अन्तर्गत बनाये गए योजनायें जैसे कर्मचारी भविष्यनिधि योजना १९५२, कर्मचारी पेंशन योजना १९९५ तथा कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना १९७६ जो आपकी स्थापना पर, उनके सभी शाखाओं में/ विभागों में से लागू है।


The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 along with the schemes framed thereunder viz., Employees' Provident Funds Scheme, 1952. Employees' Pension Scheme, 1995 and Employees, Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976, is applicable to your establishment together with all its branches/ departments, if any, with effect from **01/07/2008** as.

१. यह फैक्टरी जो में स्थित है, जो अनुसूची १ में उल्लिखित एक उद्योग है जिनको अनुभाग १(३) के अन्तर्गत क.भ.नि. तथा प्रकीर्ण उपबन्ध १९५२ लागू है।

1. It is a factory engaged in one of the industries specified in Schedule 1 to which the E. P. F. & M. P. Act, 52 is applicable under section 1 (3).

Chairman
J & J. E. M. SCHOOL

P. S. V...
Ch
01/09/08



(क) उसके

(a) there of

(ख) यह एक स्थापना है स्थापनाओं के वर्ग में सम्मिलित है, जिनको दिनांक के अधिसूचना सं के अनुसार अधिनियम १ (३) (ख) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किया है।

(b) It is an establishment Educational Institution included in the class of establishments to which the E.P.F. & M.P. Act is applicable by notification No.SO...986..... dated19/02/1982..... of the Govt. of India issued under section 1 (3) (b) of the Act,

(ग) आपके अनुरोध से स्वैच्छिक आधार पर अधिनियम के विभाग १(४) के अन्तर्गत क.भ.नि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध आपकी स्थापना तक विस्तारित किया है।

(c) The E.P.F. & M.P. Act has the extended to your establishment in response to your request on a voluntary basis under section 1 (4) of the Act,

२. उत्पादन या कार्य आपकी स्थापना ने को शुरू किया है।

2. Your establishment has commenced production/activity on01/05/2001.....

३. उसने को ५०/२०/५ कर्मचारियों को नियुक्त किया है।

3. It has employed 22 ~~50/20/5 or more~~ persons on01/07/2008.....


४. कोड सं. के आर. आपकी शाखा तथा स्थापना को आबंटित किया है। इस कार्यालय के तथा प्रवर्तन अधिकारी से संबन्धित आपके सभी प्रकार के पत्राचार में स्थिर रूप से उसका उल्लेख होना चाहिए।

4. The code number KR/.....24399..... is allotted to your establishment together with its branches; which should invariably be quoted in all your communications to this office as well as to the Enforcement Officer.

५. आपको फार्म-१, फार्म-२ क.भ.नि (अनुलिपि) फार्म-२ क.भ.नि और क.पें.यो. आदि की आष विवरणी इस संदेश प्राप्त करने के १५ दिन के अंतर प्रस्तुत करना चाहिए। आपको प्रपत्र १२-ए, प्रपत्र ५ और १० उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन एर्णाकुलम में इससे संबन्धित महीने की १५ वीं तारीख के पहले पहुँचने के लिए भेज देना चाहिए।

5. You should submit initial returns in Form-9, Form-2 EPF & EPS [in duplicate] within 15 days of receipt of this communication. You should also send monthly returns in Form 12-A., Form 5 and 10 so as to reach this office i.e., Sub-Regional Office, Employees' Provident Funds, Ernakulam on or before the 15th of the month following that to which it relates.

६. आपको क. भ. नि. अंशदान ले. सं. १ में क.पें.यो. अंशदान ले. सं. १० में क. भ. नि. अंशदान ले. सं. २१ में क.भ. नि. प्रशासनिक खर्च ले. सं. २ में तथा क. सं. बी. यो. प्रशासनिक खर्च ले. सं. २२ में १५ दिन के पहले या बाद में प्रेषित



करना चाहिए। पेंशन अंशदान जो नियोक्ताओं के वेतन का $1\frac{1}{3}$ अंशदान, कचरेज करने के तारीख से इकठ्ठा करके अलग रूप से प्रेषित करना चाहिए। कर्मचारी तथा नियोक्ता द्वारा देने योग्य अंशदान तथा प्रशासनिक खर्च का दर नीचे दिये हैं।

6. You should remit E.P.F. contributions to Account No. 1, E.P.S. contribution to Account No. 10, E.D.L.I. contribution to account No. 21, E.P.F. administrative charges to Account No. 2 and E.D.L.I. administrative charges to Account No. 22, on or before 15th of the month following that to which it relates. Pension Contribution with effect from the date of coverage itself @ $8\frac{1}{3}$ % of the wages from and out of the employer's contribution be segregated and remitted separately. The rate of contributions and administrative charges payable both by the employer and employee are as given below.

(क) मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का $1\frac{1}{3}$ %/ 90%/ 92% (भोजन पर रियायत, पूर्वग्रहण भत्ता अगर कोई) उपर्युक्त अंशदान में नियोक्ता से संबन्धित वेतन का $1\frac{1}{3}$ % ले. सं. 90 में प्रेषित करना चाहिए। शेष रकम ले. सं. 9 में क. भ. नि. अंशदान के रूप में प्रेषित करना चाहिए।

(a) ~~8.33%/10%/12%~~ of the basic wages and dearness allowance (including cash value of food concession and retaining allowance, if any). From and out of the said contribution $8\frac{1}{3}$ % of pay representing employer's share shall be remitted to the Account No. 10 and the remaining amount to Account No. 1, as E.P.F. contributions.

(ख) क. सं. बी. नियोजना के लिए कर्मचारियों की ओर से कोई अंशदान नहीं है। हर महीने क. भ. नि. अंशदान प्रेषित करनेवाले सभी सदस्यों के कुल मज़दूरी से 9% अंशदान नियोक्ता को ले. सं. 29 में प्रेषित करना चाहिए।

(b) For E.D.L.I scheme there is no contribution by the employees. Every month the employer has to remit into Account No. 21, contributions at the rate of 0.5% of the total wages in respect of all the members in respect of whom E.P.F. contributions are remitted.

(ग) प्रशासनिक व्यय नियोक्ता द्वारा प्रेषित करना चाहिए, मज़दूरी के 9.90% के दर में हर महीने न्यूनतम 4 रुपये ले. सं. 2 में तथा मज़दूरी के 0.9% की दर क. ज. सं. बी. योजना की ओर से ले. सं. 22 में प्रेषित करना चाहिए। प्रशा. व्यय गोल करके न्यूनतम 2 रुपये तक करना चाहिए।

(c) The administrative charges are to be remitted by the employer at the rate of 1.10% of the wages into Account No.2 for the E.P.F. subject to a minimum of Rs.5/- per month and at the rate of 0.01% of the wages into Account No. 22 towards E.D.L.I. Scheme. Adm. charges may be rounded to the nearest 5 ps. subject to a minimum of Rs. 2/-

6. अगर आपकी स्थापना में पहले ही एक भविष्य निधि योजना स्थित है तो पूर्व जमा के सारे रकम कर्मचारी, जो निधि का सदस्य है, के हिसाब क. भ. नि. की ले. सं. 9 में रोकड़ के रूप में है तो 90 दिन के अंदर तथा जमानत के रूप में है तो 30 दिन के अंदर पुनर्ग्रहण करना चाहिए।

7. In case there is already in existence a provident fund scheme in your establishment, the entire amount of past accumulations standing to the credit of the employees who have become members of the fund should be remitted to Account No. 1 of the E.P.F. within 10 days in case it is retained in cash and within 30 days in case it is in the form of securities.

8. आपसे अनुरोध है कि इस पत्र में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन करें तथा तत्काल ही अधिनियम तथा योजना का भी पालन करें।



Chairman
P. S. Veerana
6/4/24

करना चाहिए। पेंशन अंशदान जो नियोक्ताओं के वेतन का $1\frac{1}{3}$ अंशदान, कथरेज करने के तारीख से इकठ्ठा करके अलग रूप से प्रेषित करना चाहिए। कर्मचारी तथा नियोक्ता द्वारा देने योग्य अंशदान तथा प्रशासनिक खर्च का दर नीचे दिये हैं।

6. You should remit E.P.F. contributions to Account No. 1, E.P.S. contribution to Account No. 10, E.D.L.I. contribution to account No. 21, E.P.F. administrative charges to Account No. 2 and E.D.L.I. administrative charges to Account No. 22, on or before 15th of the month following that to which it relates. Pension Contribution with effect from the date of coverage itself @ $8\frac{1}{3}$ % of the wages from and out of the employer's contribution be segregated and remitted separately. The rate of contributions and administrative charges payable both by the employer and employee are as given below.

(क) मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का $1\frac{1}{3}$ %/ 90%/ 92% (भोजन पर रियायत, पूर्वग्रहण भत्ता अगर कोई) उपर्युक्त अंशदान में नियोक्ता से संबन्धित वेतन का $1\frac{1}{3}$ % ले. सं. 90 में प्रेषित करना चाहिए। शेष रकम ले. सं. 9 में क. भ. नि. अंशदान के रूप में प्रेषित करना चाहिए।

(a) ~~8.33%/10%/12%~~ 12% of the basic wages and dearness allowance (including cash value of food concession and retaining allowance, if any). From and out of the said contribution $8\frac{1}{3}$ % of pay representing employer's share shall be remitted to the Account No. 10 and the remaining amount to Account No. 1, as E.P.F. contributions.

(ख) क. सं. बी. नियोजना के लिए कर्मचारियों की ओर से कोई अंशदान नहीं है। हर महीने क. भ. नि. अंशदान प्रेषित करनेवाले सभी सदस्यों के कुल मज़दूरी से 4% अंशदान नियोक्ता को ले. सं. 29 में प्रेषित करना चाहिए।

(b) For E.D.L.I scheme there is no contribution by the employees. Every month the employer has to remit into Account No. 21, contributions at the rate of 0.5% of the total wages in respect of all the members in respect of whom E.P.F. contributions are remitted.

(ग) प्रशासनिक व्यय नियोक्ता द्वारा प्रेषित करना चाहिए, मज़दूरी के 9.90% के दर में हर महीने न्यूनतम 4 रुपये ले. सं. 2 में तथा मज़दूरी के 0.9% की दर क. ज. सं. बी. योजना की ओर से ले. सं. 22 में प्रेषित करना चाहिए। प्रशा. व्यय गोल करके न्यूनतम 2 रुपये तक करना चाहिए।

(c) The administrative charges are to be remitted by the employer at the rate of 1.10% of the wages into Account No.2 for the E.P.F. subject to a minimum of Rs.5/- per month and at the rate of 0.01% of the wages into Account No. 22 towards E.D.L.I. Scheme. Adm. charges may be rounded to the nearest 5 ps. subject to a minimum of Rs. 2/-

6. अगर आपकी स्थापना में पहले ही एक भविष्य निधि योजना स्थित है तो पूर्व जमा के सारे रकम कर्मचारी, जो निधि का सदस्य है, के हिसाब क. भ. नि. की ले. सं. 9 में रोकड़ के रूप में है तो 90 दिन के अंदर तथा जमानत के रूप में है तो 30 दिन के अंदर पुनर्ग्रहण करना चाहिए।

7. In case there is already in existence a provident fund scheme in your establishment, the entire amount of past accumulations standing to the credit of the employees who have become members of the fund should be remitted to Account No. 1 of the E.P.F. within 10 days in case it is retained in cash and within 30 days in case it is in the form of securities.

8. आपसे अनुरोध है कि इस पत्र में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन करें तथा तत्काल ही अधिनियम तथा योजना का भी पालन करें।



Chairman
P. S. Veerappan
24/24